

मध्य प्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय

208

वल्लभ भवन, भोपाल-462004

क्रमांक 4455/2725/2006/20-1

भोपाल, दिनांक 14.11.2006

प्रति,

1. सम्स्त कलेक्टर, मध्य प्रदेश .
2. सम्स्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्य प्रदेश .
3. सम्स्त आयुक्त, नगर निगम, मध्य प्रदेश .
4. सम्स्त संयुक्त संचालक, शिक्षा संचागीय कार्यालय, मध्य प्रदेश
5. सम्स्त जिला शिक्षा अधिकारी, मध्य प्रदेश
6. सम्स्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत, म. प्र.
7. सम्स्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, मध्य प्रदेश
8. सम्स्त विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, मध्य प्रदेश

विषय :- संविदा शाला शिक्षकों को मातृत्व, पितृत्व अवकाश बाबत .

—00—

म. प्र. पंचायत/नगरीय निकाय संविदा शाला शिक्षक § नियुक्ति एवं सेवा शर्ते § नियम 2001 की कंडिका 10 § घ § में संविदा शाला शिक्षकों को एक वर्ष में 13 दिवस का आकस्मिक अवकाश व 3 दिवस का ऐच्छिक अवकाश का प्रावधान है, किन्तु किसी अन्य प्रकार के अवकाश का हकदार न होने का उल्लेख है, जबकि म. प्र. पंचायत/नगरीय निकाय संविदा शाला शिक्षक § नियोजन एवं संविदा की शर्ते § नियम 2005 के नियम 12 § घ § में महिला संविदा शिक्षक को 90 दिन के मातृत्व अवकाश एवं पुरुष संविदा शिक्षक को 15 दिन के पितृत्व अवकाश का प्रावधान किया गया है ।

2/- म. प्र. पंचायत/नगरीय निकाय संविदा शाला शिक्षक § नियुक्ति एवं सेवा शर्ते § नियम 2001 को म. प्र. पंचायत/नगरीय निकाय संविदा शाला शिक्षक § नियोजन एवं संविदा की शर्ते § नियम 2005 के नियम 16 द्वारा निरस्त किया गया है । अतः वर्ष 2005 के नियमों के अंतर्गत वह सभी सुविधायें एवं अन्य शर्ते उन संविदा शाला शिक्षकों को भी लागू होंगी जो नियम 2001 के अंतर्गत नियुक्त हुये हैं, अर्थात् वर्ष 2001 में नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों को भी मातृत्व/पितृत्व अवकाश की पात्रता रहेगी ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार
S. W. S. N. S. N.

§ आर. के. भट्टाची §

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

निरंतर...

11/211

209

पृष्ठां. क्रमांक 4456/2725/2006/20-1

भोपाल, दिनांक 14.11.2006

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, म. प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल .
2. प्रमुख सचिव, म. प्र. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल .
3. प्रमुख सचिव, म. प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल .
4. आयुक्त, लोक शिक्षण, म. प्र. भोपाल .
5. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, म. प्र. भोपाल .
6. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, म. प्र. भोपाल .
7. सचिव, म. प्र. शासन, जनसम्पर्क विभाग को प्रकाशन हेतु अत्रेषित ।

Phogmalay
10.11.06
अवर सचिव

ः: टाके मते ::

मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग